कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/3512 दिनांक : 10.01.2022

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन एवं ई–नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना फेज–XVIII

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पडत/बेक आउट कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी.** लिमिटेड के माध्यम से फेज– XVIII के लिये निम्नलिखित तिथि अनुसार ई–नीलामी (ई–बोली) आमंत्रित की जाती है :–

क्र.स.	नीलामी की दिनांक	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	19.01.2022	18.01.2022

नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

2. दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस व कम्पोजिट फीस विभागीय बेवसाईट https://www.rajexcise.gov.in पर दर्शित है। दर्शाई गई "न्यूनतम रिजर्व प्राईस" वार्षिक (12 माह के लिए) है। वास्तविक गारंटी राशि एवं वार्षिक कम्पोजिट फीस की गणना अनुज्ञापत्र हेतु जारी स्वीकृति की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाऐगी।
3. आवेदन शुल्क पूर्वानुसार "मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस" के अनुसार ही रहेगा।
4. **अमानत राशि–** आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2021–22 के बिन्दु संख्या 2.7 में अमानत राशि के बारे में प्रावधान किये गये है। परन्तु किसी भी फेज में एक बार यदि किसी **कम्पोजिट मदिरा दुकान** के लिए बोलीदाता द्वारा **बेकआउट** किया गया है तो ऐसी कम्पोजिट मदिरा दुकानो के लिए वर्ष 2021–22 हेतु निम्नलिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है। शेष दुकानो के लिए अमानत राशि पूर्ववत रहेगी।

श्रेणी (मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान)	अमानत राशि (रू.)
50 लाख रूपये तक	2,00,000
50 लाख रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक	3,00,000
2 करोड़ रूपये से अधिक	5,00,000

5. **आवेदनः**–आवेदन की प्रकिया दिनांक 11.01.2022 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ है तथा निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. तक चालू रहेगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण धरोहर राशि दिनांक 25.01.2022 तक जमा करानी होगी।
7. सफल बोलीदाता को **"निर्धारित अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि"** एवं **"निर्धारित कम्पोजिट फीस"** दिनांक 28.01.2022 तक जमा करानी होगी।
8. एम.एस.टी.सी. हेल्प–डेस्क पर कार्यालय समय में मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
9. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।